

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक—

1167/पन्द्रह

दिनांक—05-08-2020

विषय—

Mechanism/Modalities for functioning of District Court & Outlying Courts, Shahjahanpur, not falling under Containment Zone during COVID-19 pandemic.

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि माननीय न्यायालय के पत्र संख्या—1117/LXXXVII—सी0पी0सी0/ई—कोर्ट्स/इलाहाबाद/दिनांकित 03 जून, 2020 तथा पत्र संख्या—1293/LXXXVII—सी0पी0सी0/ई—कोर्ट्स/इलाहाबाद/दिनांकित 16 जुलाई, 2020 के अनुपालन के सन्दर्भ में कोरोना समिति, जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर को दैनिक कार्यवाही की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में कोरोना समिति द्वारा आज दिनांक 05-08-2020 को आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

उक्त आख्या की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।

दिनांक— 05-08-2020
संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय
Rajharma
05/08/2020
जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

प्रेषक,

कोरोना समिति,

जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,

शाहजहाँपुर।

विषय:

कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे को रोकने के लिए निवारक एवं उपचारात्मक प्रयास करने के सन्दर्भ में दैनिक कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या- 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/ दिनांकित 03.06.2020 तथा पत्र संख्या- 1293/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/ दिनांकित 16.07.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में माननीय महोदय के प्रशासनिक आदेश संख्या-121/2020 दिनांकित 04.06.2020 तथा प्रशासनिक आदेश संख्या-138/ 2020 दिनांकित 17.07.2020 के अनुपालन में कोरोना समिति द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे को रोकने के लिए निवारक एवं उपचारात्मक प्रयासों तथा न्यायालयों की कार्यवाही के सम्बन्ध में आज दिनांक 05.08.2020 को सम्पादित कार्यों का विवरण निम्नवत् है:-

1. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर के कार्यालय पत्रांक- 295/ कोविड-19/2020-2021 दिनांकित 05.08.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर तथा बाह्य न्यायालय, तिलहर, जलालाबाद एवं पुवायां कन्टेनमेंट जोन से बाहर है। तदैव माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ही जनपद न्यायालय शाहजहाँपुर एवं बाह्य न्यायालय तिलहर, जलालाबाद तथा पुवायां कार्य सम्पादन हेतु खोले गये हैं।
2. कल दिनांक- 04.08.2020 को अध्यक्ष, सेन्ट्रल बार एसोसिएशन, शाहजहाँपुर के पत्र दिनांकित-04.08.2020 द्वारा अवगत कराया गया जनपद न्यायालय परिसर में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता श्री राजीव वैश्य व संजीव वैश्य न्यायालय परिसर में स्थित डा. राजेन्द्र प्रसाद भवन के चैम्बर-06 में बैठते हैं और नियमित रूप से न्यायालय आते हैं। अधिवक्ता श्री तिलक राम परिसर के गेट संख्या-02 के पास बैठते हैं। अधिवक्ता क्लर्क श्री संजीव वैश्य, अधिवक्ता श्री तिलक राम तथा श्री राजीव कुमार वैश्य के परिजनों को कोरोना पॉजिटिव होना बताया गया था। जिसके क्रम में जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर के पत्र संख्या-294/ कोविड-19/2020-2021, दिनांकित 05.08.2020 द्वारा अवगत कराया कि श्री राजीव वैश्य व अधिवक्ता तिलकराम का कोविड-19 परीक्षण अभी प्राप्त नहीं हुआ है। श्री संजीव वैश्य अधिवक्ता क्लर्क का दिनांक 03.08.2020 को कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव आया है। दिनांक 01.08.2020 व 02.08.2020 को लॉक डाउन होने के कारण तथा दिनांक-03.08.2020 को न्यायालय में अवकाश होने के कारण बंद रहा है। ऐसी स्थिति में श्री वैश्य इससे पूर्व ही न्यायालय परिसर में आये होंगे। उक्त अवधि में नियमित रूप से न्यायालय परिसर का सेनेटाइजेशन दिन में दो बार होता रहा है। अतः समिति की राय के अनुसार उपरोक्त परिस्थितियों के द्रष्टिगत न्यायालय परिसर को सेनेटाइजेशन एवं विसंक्रमण हेतु पुनः बंद नहीं कराया गया है।
3. इसी प्रकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 04.08.2020 के अनुसार जनपद न्यायालय की सुरक्षा में तैनात उपनिरीक्षक श्री अनुज कुमार तिवारी को कोरोना पॉजिटिव होना बताया गया। साथ ही यह भी उल्लेखित किया गया कि श्री तिवारी माननीय महोदय के विश्राम कक्ष के पीछे दिनांक 31.07.2020 तक ड्यूटी पर तैनात थे। तदोपरांत पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर, देहात के आदेशानुसार दिनांक 01.08.2020 को ईद में सुरक्षा व्यवस्था हेतु थाना-तिलहर में नियुक्त किये गए थे, जहाँ उनका कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव आया है। दिनांक 01.08.2020 व 02.08.2020 को लॉक डाउन होने के कारण तथा दिनांक-03.08.2020 को न्यायालय में अवकाश होने के कारण बंद रहा है। उक्त अवधि में नियमित रूप से न्यायालय परिसर का सेनेटाइजेशन दिन में दो बार होता रहा है। अतः समिति की राय के अनुसार उपरोक्त परिस्थितियों के द्रष्टिगत न्यायालय परिसर को सेनेटाइजेशन एवं विसंक्रमण हेतु पुनः बंद नहीं कराया गया है।





4. आज न्यायालय खुलने से पूर्व जिला प्रशासन एवं नगर निगम से समन्वय स्थापित करके जनपद न्यायालय परिसर एवं बाह्य न्यायालयों की समुचित साफ-सफाई के उपरान्त उचित रीति से सेनेटाइजेशन कराया गया। सभी न्यायालय कक्षों, कार्यालयों, विश्राम कक्षों एवं न्यायालय परिसर के सभी स्थलों पर साफ सफाई करायी गयी है। न्यायालय परिसर में फागिंग करायी गयी है। न्यायालय परिसर का सेनेटाइजेशन दिन में दो बार अर्थात् न्यायालय प्रारम्भ होने से पूर्व तथा न्यायालयों की कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त कराया जा रहा है। बाह्य न्यायालय तिलहर, पुवायां एवं जलालाबाद के परिसर का भी उचित रीति से सेनेटाइजेशन कराया गया है।
5. न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तापीय जांच (Thermal Scanning) करायी जा रही है। यह कार्य जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये इन्फ्रारेड नो कान्टेक्ट टेम्प्रेचर थर्मामीटर द्वारा किया जा रहा है। न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग के उपरान्त ही, उन्हें न्यायालय परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है।
6. आज दिनांक 05.08.2020 को जनपद मुख्यालय पर कुल 32 न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित आये, जिनमें से सिविल जज (जू०डि०) संवर्ग के नवनियुक्त 11 न्यायिक अधिकारीगण प्रशिक्षण पर हैं। जनपद मुख्यालय पर कार्य सम्पादित करने वाले न्यायालयों में कुल 21 न्यायिक अधिकारी उपस्थित आये हैं। बाह्य न्यायालय, जलालाबाद रिक्त है तथा बाह्य न्यायालय, तिलहर व पुवायां में कार्य सम्पादित करने वाले न्यायालयों में कुल 02 न्यायिक अधिकारी उपस्थित आये हैं।
7. जनपद न्यायालय में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल कार्यरत कर्मचारीगण की संख्या 304 है। आज दिनांक 05.08.2020 को जनपद मुख्यालय पर सभी न्यायालयों एवं प्रशासनिक अनुभागों में कुल 208 कर्मचारीगण उपस्थित आये हैं, तथा बाह्य न्यायालयों में 27 कर्मचारी उपस्थित आये हैं।
8. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी न्यायालयों द्वारा कार्य सम्पादन किया जा रहा है। जिन मामलों में सुनवाई नहीं होनी है, उनमें यथाशीघ्र सामान्य तिथियाँ अंकित करके न्यायालयों के सार्वजनिक सूचना पटल पर लगवाई गयी हैं तथा सभी न्यायालयों द्वारा उक्त तिथियों को सी.आई.एस. पर भी अंकित किया जा रहा है।
9. सभी प्रकार के वादों एवं प्रार्थना पत्रों को जूडिशियल सर्विस सेन्टर/ कम्प्यूटर अनुभाग के ई-फाइलिंग काउण्टर पर दाखिल किया जा रहा है और सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।
10. जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर की समर्पित (dedicated) ई-मेल आई.डी. **districtcourtspn@gmail.com** है। इस ई-मेल आई.डी. पर आज दिनांक 05.08.2020 को कोई भी आवेदन पत्र, जमानत प्रार्थनापत्र, बहस इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है।
11. विचाराधीन बन्धियों का रिमाण्ड कार्य आदि केवल वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से ही किया जा रहा है और किसी भी बन्दी को सुनवाई हेतु न्यायालय नहीं बुलाया जा रहा है।
12. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट, कोर्ट संख्या-8 के मामलों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से वर्चुअल कोर्ट द्वारा की जा रही है। यह वर्चुअल कोर्ट रिक्त न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय के न्यायालय कक्ष, में स्थापित की गयी है और इसी पटल से अधिवक्तागण उक्त न्यायालय से सम्बन्धित मामलों में अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं तथा दूसरी ओर सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने विश्राम कक्ष से लैप-टाप द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई की जा रही है।
13. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी व्यक्ति न्यायालय परिसर में मास्क लगाकर ही प्रवेश करें।
14. सभी न्यायालय कक्षों में सुनवाई हेतु नियमानुसार प्रबन्ध किया गया है एवं उचित दूरी पर अधिवक्तागण के बैठने हेतु चार कुर्सियाँ रखी गयी हैं। सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है। साथ ही न्यायालय कक्ष के गेट पर न्यायालय के कर्मचारी के सहयोग से, कक्ष में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के हाथों को एल्कोहल मिश्रित सेनेटाइजर से सेनेटाइज कराया जा रहा है।
15. सभी न्यायालयों द्वारा आज की तिथि पर विचारित किये गये मामलों की संख्या तथा उनके द्वारा निस्तारित मामलों की संख्या, इस अनुपालन आख्या के साथ सारणी रूप में संलग्न की जा रही है।

2

dm

16. भीड़ को नियन्त्रित करने के लिए न्यायालय परिसर का गेट संख्या-6 एवं परिसर में स्थापित कैन्टीन को पूर्ववत् बन्द रखा गया है। इस समय गेट संख्या-1 से अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा गेट संख्या-2 से वादकारियों आदि तथा गेट संख्या-4 से अधिवक्ताओं को थर्मल स्कैनिंग के उपरान्त प्रवेश दिया जा रहा है।
17. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ताओं एवं वादकारियों को ई-कोर्ट सर्विसेज एप के अधिकाधिक प्रयोग के लिये जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जनपद न्यायालय के समर्पित ई-मेल आई.डी एवं दूरभाष सेवा के बारे में भी अवगत कराया जा रहा है। कार्य योजना का प्रचार प्रसार समाचार-पत्रों के माध्यम से भी कराया जा रहा है। उपरोक्तानुसार समिति की दैनिक अनुपालन रिपोर्ट माननीय महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

दिनांक: 05.08.2020

संलग्नक: यथोक्त

(सौरभ द्विवेदी)

सदस्य,

कोरोना समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

रमेश चन्द्र मिश्रा
(रमेश चन्द्र मिश्रा) 5-8-2020

सदस्य,

कोरोना समिति/

प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

(सुरजन सिंह)

सदस्य,

कोरोना समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

Surjan Singh
05.08.20

(किरण पाल सिंह)

अध्यक्ष,

कोरोना समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

Kiran Pal Singh
(कुलदीप कुमार) 05/08/2020

सदस्य,

कोरोना समिति/

न्यायालय प्रबन्धक,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

Seen.

05/08/2020

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

अध्यक्ष,
कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

संख्या 295 / कोविड-19 / 2020-2021

दिनांक 05 अगस्त, 2020

विषय : कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर एवं तहसील तिलहर, पुवायॉ व जलालाबाद की जोन की स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-702/XV दिनांक 21 मई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर एवं तहसील तिलहर व जलालाबाद की जोन की स्थिति की दैनिक आख्या प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि भारत सरकार की नयी गाइड लाइन्स के अनुसार जनपद न्यायालय परिसर तथा वाह्य न्यायालय तिलहर, पुवायॉ व जलालाबाद का परिक्षेत्र कन्टेनमेन्ट जोन से बाहर है।

तदनुसार सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
नोडल अधिकारी
शाहजहाँपुर।

NUMBER OF CASES TAKEN UP AND DECIDED CHART

In the compliance of Hon'ble High Courts Letter no. Letter no. 1117/L-XXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, dated- 03.06.2020, in today's NUMBER OF CASES TAKEN UP AND DECIDED are as follows-

SR. NO	NAME OF COURT	NO. OF CASES TAKEN UP	NO. OF APPLICATIONS TAKEN UP	NO. OF APPLICATIONS/ CASES DECIDED	HOW MANY CASES WERE DECIDED BY VIRTUAL COURT	NO. OF APPLICATIONS RECEIVED BY EMAIL TODAY	DAILY STATUS OF REMAND		
							IN HOW MANY CASES REMAND PRISONERS CARRIED OUT	IN HOW MANY CASES JUDICIAL WORK, EXCEPT REMAND OF PRISONERS UNDER TRIAL CARRIED OUT	NO. OF UNDER TRIAL PRISONERS COVERED
21	Chief Judicial Magistrate	9	36	25	0	0	12	3	15
22	Civil Judge (S.D.)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	A.C.J.M- I	2	17	11	0	0	0	0	0
24	A.C.J.M- II	1	4	3	0	0	0	0	0
25	A.C.J.M- III	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Addl. Civil Judge (S.D./ACJM)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Civil Judge (S.D) F.T.C.	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Civil Judge (J.D.)	0	6	0	0	0	0	0	0
29	Judicial Magistrate- I	1	0	1	0	0	0	0	0
30	Addl. Civil Judge (J.D.)- I	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Judicial Magistrate- II	1	4	2	0	0	0	0	0
32	Addl. Civil Judge (J.D.)- II	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sub Total (HQ)	32	114	56	0	0	12	3	15
33	Civil Judge (J.D.), Tilhar (Outlying Court)	3	6	2	0	0	0	2	2
34	Addl. Civil Judge (J.D.), Tilhar (Outlying Court)	2	1	2	0	0	0	2	2
	Sub Total (Outlying Court-Tilhar)	5	7	4	0	0	0	4	4
35	Civil Judge (J.D.), Puwayan (Outlying Court)	3	28	14	0	0	0	31	31
36	Civil Judge (J.D.), Jalalabad (Outlying Court)	3	0	0	0	0	0	0	0
	Sub Total (Outlying Court)	11	35	18	0	0	0	35	35
	Grand Total	43	149	74	0	0	12	38	50

Harsh
5/8/2020